न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/48/2023	2023/415	28.02.2023	17.07.2023

1. फूल सिंह दत्तक पुत्र मंगतूराम जाति अहीर निवासी अलवर रोड़, बहरोड जरिये मुख्तयारखास राहुल यादव पुत्र ईश्वर सिंह यादव जाति अहीर निवासी अलवर रोड़, बहरोड जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर राज0।
2. जिला कलक्टर अलवर राजस्थान।
3. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
4. सहायक अभियंता, सानिवि, बहरोड़ जिला अलवर।

–अप्रार्थी असल

5. दलीप सिंह यादव पुत्र मुरलीधर यादव जाति अहीर निवासी ग्राम भुंगारका तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी माता मंदिर के पास, बिजली घर रोड़, बहरोड़ जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थी

न्यायालय जिला ... अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री शैलेन्द्र यादव –वकील प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी फूलसिंह बनाम सरकार को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 17.11.2022 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। रीडर साहब ने उक्त पत्रावली पर आगामी पेशी दिनांक 18.11.2022 नियत की गयी। दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थी के प्रकरण को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रा0पत्र पेश किया। उक्त प्रकरण पुनः नम्बर पर ले लिया गया। उसके बाद दिनांक 24.01.2023 को मिन प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस कर दी गयी। निर्णय हेतु आगामी दिनांक 09.02.2023 नियत की गयी। दिनांक 09.02.2023 को मिन प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ तो मालूम हुआ कि प्रा0पत्र 212 नम्बर पर नहीं आ सका क्योंकि उसके लिए पृथक से प्रा0पत्र पेश करना था। जिसके लिए अलग से प्रा0पत्र पेश किया गया तथा पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया। तब पीठासीन अधिकारी महोदय ने कहा कि प्ररकण पुराना हो चुका है। प्रा0पत्र 212 पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नही है। आपका प्रकरण सरकार के विरूद्ध है। मैं सरकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश नहीं करूंगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहना कि सरकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं करूंगा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। जिस कारण मिन प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी ने अपने जवाब/टिप्पणी पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी ने एक वाद फूलसिह बनाम सरकार इस न्यायालय में पेश किया था, जो जवाब दावा में लंबित था। दिनांक 18.11.22 को वादी की अनुपस्थिति में उक्त वाद खारिज कर दिया गया। वाद पत्र को दिनांक 05.01.2023 को पुनः नम्बर पर दर्ज किया गया। वर्तमान में जवाब दावा के स्तर पर वाद लंबित है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 03.04.2023 नियत है। वादी द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 को पुनः दर्ज करने हेतु प्रा0पत्र पेश नहीं किया गया। चूंकि प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 अलग से संधारित होता है। जिसको पुनः नम्बर पर लेने हेतु अलग से प्रा0पत्र पेश होना चाहिए था। जो प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में मनमाने तथ्य अंकित किये है। विचाराधीन प्रकरण में 05.01.2023 को पुनः दर्ज कर जवाब के स्तर पर लंबित है। वाद पत्र दर्ज होने के बाद दिनांक 24.01.2023 से 09.02.2023 व 23.02.2023 को पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य होने के कारण न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सके। आगामी पेशी 03.04.23 नियत हैं। सुनवाई की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थी के समस्त तथ्य सारहीन है। जिस सूरत में प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस व प्रार्थी के प्रा0पत्र मुंतकिल में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी फूलसिंह बनाम सरकार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर